न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 188 JCMS1-2010/00143 दायर दिनांक : 22.11.2018

कृष्णलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) —प्रार्थी

बनाम

1. चेतराम
2. साहबराम

} पुत्रगण रामचन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

3. राजस्थान सरकार जरिये भू—प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
4. उप—पंजीयक, उप—पंजीयक कार्यालय, सूरतगढ़
5. शाखा प्रबन्धक, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा निरवाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 09.10.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 2 आर.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2060 ता 2063 की खाता सं. 31/127 के पत्थर नं. 103/308 (26) के किला नं. 15, 16, 25 = 0.759 है0 व पत्थर नं. 102/308 (27) के किला नं. 1 ता 9/2.277 है0, 15—16/0.506 है0, 25/0.253 है0 = 3.036 है0, कुल 3.795 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से विरासतन व खाता विभाजन द्वारा पत्थर नं. 103/308 (26) के किला नं. 15, 16, 25 = 0.759 है0 व पत्थर नं. 102/308 (27) के किला नं. 3/0.126 है0, 4 ता 9/1.518 है0, 15—16/0.506 है0, 25/0.253 है0 =

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 2 पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:59:24 IST
Reason: SelfAttested

2.403 है0, कुल 3.162 है0 कमाण्ड भूमि प्रार्थी कृष्णलाल पुत्र रामचन्द्र के नाम 2.530 है0 व अप्रार्थी सं. 1 चेतराम पुत्र रामचन्द्र के नाम 0.632 है0 एवं पत्थर नं. 102 / 308 (27) के किला नं. 1–2 / 0.506 है0, 3 / 0.127 है0 = 0.633 है0 कमाण्ड भूमि अप्रार्थी सं. 2 साहबराम पुत्र रामचन्द्र के नाम अंकित है तथा इसी चक 2 आर.एम.'बी' के खाता संख्या 13 / 12 के पत्थर नं. 102 / 308 (27) के किला नं. 10 ता 14 / 1.265 है0, 17 ता 24 / 2.024 है0 = 3.289 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के नाम से ब.हि.ब. अंकित है जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 को आवंटित थी। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1–2 ने काश्त की सुविधा को देखते हुए उक्त भूमि का घरेलू बंटवारा कर रखा है जिसके अनुसार प्रार्थी के कब्जा काश्त में चक 2 आर.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 102 / 308 (27) के किला नं. 3 / 0.126 है0, 4 ता 15 / 3.036 है0, 16 / 0.253 है0 = 3.415 है0 व पत्थर नं. 103 / 308 (26) के किला नं. 15, 16, 25 = 0.759 है0, कुल 4.174 है0 कमाण्ड और अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त में चक 2 आर.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 102 / 308 (27) के किला नं. 17 ता 25 = 2.277 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 का शान्तिपूर्वक कब्जाकाश्त लगातार चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत व धन व्यय कर उपजाऊ व काबिल काश्त बनाया है व इसी अनुसार प्रार्थी खाता विभाजन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1–2 आपस में सगे भाई हैं। उक्त भूमि का खाता विभाजन कर अप्रार्थी सं. 2 के नाम का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अलग से दर्ज करवाया जा चुका है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की भूमि संयुक्त खाता में रही। प्रार्थी एक सीधा–सादा, कम पढ़ा–लिखा, आर्थिक रुप से कमजोर, ग्रामीण व्यक्ति है। अप्रार्थी सं. 1 काफी चतुर व होशियार व्यक्ति है। उसने राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत कर, घरेलू बंटवारा को छिपाते हुए, प्रार्थी की सहमति व रजामन्दी के बिना उक्त भूमि का विधिविरुद्ध तरीके से खाता विभाजन करवाकर चक 2 आर.एम.'बी' के पत्थर नं. 102 / 308 (27) के किला नं. 16 / 0.126 है0, 17 ता 25 / 2.277 है0 = 2.403 है0 व पत्थर नं. 103 / 308 (26) के किला नं. 15, 16, 25 = 0.759 है0, कुल 3.162 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 ने [illegible] व पत्थर नं. 102 / 308

क्रमशः ..... पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:59:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(27) के किला नं. 3/0.126 है0, 4 ता 15/3.036, 16/0.127 = 3.289 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का प्रार्थी के नाम इन्तकाल स्वीकृत करवाकर इसकी पालना में जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 2067 की संयुक्त खाता संख्या 14/15 व संयुक्त खाता संख्या 15/31 में दर्ज करवा लिया गया है जिससे प्रार्थी के नाम उसके हिस्सा में से 0.885 है0 भूमि कम दर्ज हो गई व अप्रार्थी के नाम उसके हिस्सा से 0.885 है0 भूमि अधिक दर्ज हो गयी। उक्त विभाजन प्रार्थी के अधिकारों पर निष्प्रभावी है। प्रार्थी द्वारा अपने हकों की घोषणा व मुताबिक घरेलू बंटवारा भूमि का विभाजन किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला बनता है। अप्रार्थी सं. 1 धमकी दे रहा है कि प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही वर्तमान में अप्रार्थी के नाम से जमाबन्दी में अंकित भूमि पर जबरन कब्जा कर इसे आगे अजनबी व्यक्ति को हस्तांतरित कर देगा। यदि प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही की गई तो प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में रासायनिक पदार्थ छिड़क कर इसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देगा और इसमें खड्डे कर देगा। यदि अप्रार्थी अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी और प्रार्थी के वाद–पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा, इसलिए अप्रार्थीगण को चक 2 आर.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 102/308 (27) के किला नं. 3/0.126 है0, 4 ता 15/3.036 है0, 16/0.253 है0 = 3.415 है0 व पत्थर नं. 103/308 (26) के किला नं. 15–16–25 = 0.759 है0, कुल 4.174 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि, जो प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है, में किसी भी प्रकार से मदालखतबेजा ना किये जाने व इसे रहन–बैय इत्यादि द्वारा हस्तांतरित ना किये जाने तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थी को इकतरफा सुना जाकर दिनांक 22.11.2018 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को वाके चक 2 आर.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 102/308 (27) के किला नं. 3/0.126 है0, 4 ता 15/3.036 है0, 16/0.253 है0 = 3.415 है0 व पत्थर नं. 103/308 (26) के किला नं. 15–16–25

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

क्रमशः ..... पेज 4 पर

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:59:24 IST
Reason: SelfAttested

= 0.759 है0, कुल 4.174 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि की आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। स्टेट की ओर पैरोकार राज ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर राज्य हित को ध्यान में व सुरक्षित रखते हुए निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1–2 आपस में सगे भाई हैं। चक 2 आर.एम.'बी' के पत्थर नं. 103/308 (26) में 0.759 है0 व पत्थर नं. 102/308 (27) में 3.036 है0, कुल 3.795 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से विरासतन व खाता विभाजन द्वारा प्रार्थी के नाम 2.530 है0 व अप्रार्थी सं. 1 के नाम 0.632 है0 एवं अप्रार्थी सं. 2 के नाम 0.633 है0 भूमि दर्ज है तथा इसी चक 2 आर.एम.'बी' के पत्थर नं. 102/308 (27) में 3.289 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के नाम से ब.हि.ब. अंकित है जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 को आवंटित थी। मुताबिक घरेलू बंटवारा प्रार्थी के कब्जा काश्त में पत्थर नं. 102/308 (27) के किला नं. 3/0.126 है0, 4 ता 15/3.036 है0, 16/0.253 है0 = 3.415 है0 व पत्थर नं. 103/308 (26) के किला नं. 15, 16, 25 = 0.759 है0, कुल 4.174 है0 कमाण्ड और अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त में पत्थर नं. 102/308 (27) के किला नं. 17 ता 25 = 2.277 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि का खाता विभाजन कर अप्रार्थी सं. 2 के नाम का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अलग से दर्ज करवाया जा चुका है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की भूमि संयुक्त खाता में है। अप्रार्थी सं. 1 ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत कर, घरेलू बंटवारा को छिपाते हुए, प्रार्थी की सहमति व रजामन्दी के बिना, उक्त भूमि का विधिविरुद्ध तरीके से खाता विभाजन करवाकर चक 2 आर.एम.'बी' के पत्थर नं. 102/308 (27) के किला नं. 16/0.126 है0, 17 ता 25/2.277 है0 = 2.403 है0 व पत्थर नं. 103/308 (26) के किला नं. 25 = 0.759 है0, कुल

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:59:24 IST
Reason: SelfAttested

3.162 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 ने अपने नाम व पत्थर नं. 102/308 (27) के किला नं. 3/0.126 है0, 4 ता 15/3.036, 16/0.127 = 3.289 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज करवा दी, जिससे प्रार्थी के नाम उसके हिस्सा में से 0.885 है0 भूमि कम दर्ज हो गई व अप्रार्थी के नाम उसके हिस्सा से 0.885 है0 भूमि अधिक दर्ज हो गयी, जिसके संदर्भ में प्रार्थी द्वारा एफ.आई.आर. भी दर्ज करवायी जा चुकी है। प्रार्थी ने अपने हकों की घोषणा व मुताबिक घरेलू बंटवारा भूमि का विभाजन किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला बनता है। वाद निर्णय से पूर्व जैरवाद भूमि का हस्तान्तरण हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी और प्रार्थी के वाद–पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा, इसलिए पूर्व में जारी स्थगन आदेश 22.11.2018 की अवधि ताफैसला वाद बढ़ाये जाने की प्रार्थना की। अप्रार्थी सं. 2 ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की। स्टेट की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना–पत्र का निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात् पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। चक 2 आर. एम.'बी' के पत्थर नं. 103/308 (26) में 0.759 है0 व पत्थर नं. 102/308 (27) में 3.036 है0, कुल 3.795 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से विरासतन व खाता विभाजन द्वारा प्रार्थी के नाम 2.530 है0 व अप्रार्थी सं. 1 के नाम 0.632 है0 एवं अप्रार्थी सं. 2 के नाम 0.633 है0 भूमि दर्ज है तथा इसी चक 2 आर.एम. 'बी' के पत्थर नं. 102/308 (27) में 3.289 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के नाम से ब.हि.ब. अंकित है। मुताबिक घरेलू बंटवारा प्रार्थी ने अपने कब्जा काश्त में पत्थर नं. 102/308 (27) के किला नं. 3/0.126 है0, 4 ता 15/3.036 है0, 16/0.253 है0 = 3.415 है0 व पत्थर नं. 103/308 (26) के किला नं. 15, 16, 25 = 0.759 है0, कुल 4.174 है0 कमाण्ड और अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त में पत्थर नं. 102/308 (27) के किला नं. 17 ता 25 = 2.277 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि बताई है। उक्त भूमि का खाता विभाजन कर अप्रार्थी सं. 2 के नाम का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अलग से दर्ज

क्रमशः... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:59:24 IST
Reason: SelfAttested

करवाया जा चुका है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की संयुक्त रूप से दर्ज भूमि खाता विभाजन द्वारा चक 2 आर.एम.'बी' के पत्थर नं. 102/308 (27) के किला नं. 16/0.126 है0, 17 ता 25/2.277 है0 = 2.403 है0 व पत्थर नं. 103/308 (26) के किला नं. 15, 16, 25 = 0.759 है0, कुल 3.162 है0 भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम व पत्थर नं. 102/308 (27) के किला नं. 3/0.126 है0, 4 ता 15/3.036, 16/0.127 = 3.289 है0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज हुई, जिससे प्रार्थी के नाम उसके हिस्सा में से 0.885 है0 भूमि कम दर्ज हो गई व अप्रार्थी के नाम उसके हिस्सा से 0.885 है0 भूमि अधिक दर्ज हो गयी। प्रार्थी ने उक्त खाता विभाजन को अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा, प्रार्थी की सहमति व रजामन्दी के बिना करवाया जाना बताते हुए, वाद प्रस्तुत कर प्रार्थी ने अपने हकों की घोषणा व मुताबिक घरेलू बंटवारा भूमि का विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थी के हकूक का निर्णय वाद में होना है। वाद निर्णय से पूर्व वादग्रस्त भूमि हस्तान्तरण से संभावित वाद निर्णय की पालना में बाधाऐं उत्पन्न होंगी। प्रथम दृष्टया मामला साबित है एवं सुविधा व सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत होता है। वाद निर्णय में पारित आदेशों की पालना में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिए पूर्व में जारी स्थगन दिनांक 22.11.2018 की अवधि ताफैसला वाद बढ़ाया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 22.11.2018 की अवधि ताफैसला वाद बढ़ाते हुए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो वाके चक 2 आर.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 102/308 (27) के किला नं. 3/0.126 है0, 4 ता 15/3.036 है0, 16/0.253 है0 = 3.415 है0 व पत्थर नं. 103/308 (26) के किला नं. 15–16–25 = 0.759 है0, कुल 4.174 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि की आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:59:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)